

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: जविप्रा/सं.आ./सि.मै.2014/डी- 647

दिनांक 5/6/14

शुद्धि-पत्र

कार्यकारी समिति की 185वीं बैठक दिनांक 21.05.2014 के कार्यवाही विवरण के निर्णय संख्या 185:4 में “प्राधिकरण सेवा के अधिकारी /कर्मचारी जो पुरानी वेतन श्रृंखला में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, को बढ़ा हुआ मंहगाई भत्ते का दिनांक 01.01.2013 से 30.06.2013 तक 151 प्रतिशत के स्थान पर 166 प्रतिशत तथा दिनांक 01.07.2013 से 166 प्रतिशत के स्थान पर 188 प्रतिशत महगाई भत्ते का नकद भुगतान” के स्थान पर सहवन से “प्राधिकरण सेवा के अधिकारी/कर्मचारी जो पुरानी वेतन श्रृंखला में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, को बढ़ा हुआ मंहगाई भत्ता 166 प्रतिशत के स्थान पर 188 प्रतिशत के नकद भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी ” टंकित हो गया है।

अतः कार्यकारी समिति की 185वीं बैठक दिनांक 21.05.2014 के कार्यवाही विवरण के निर्णय संख्या 185:4 में “प्राधिकरण सेवा के अधिकारी /कर्मचारी जो पुरानी वेतन श्रृंखला में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, को बढ़ा हुआ मंहगाई भत्ते का दिनांक 01.01.2013 से 30.06.2013 तक 151 प्रतिशत के स्थान पर 166 प्रतिशत तथा दिनांक 01.07.2013 से 166 प्रतिशत के स्थान पर 188 प्रतिशत महगाई भत्ते का नकद भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी” पढ़ा जावें।

(पवन अरोडा)

सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
3. प्रबन्ध निदेशक, रीको, जयपुर।
4. प्रबन्ध निदेशक, राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर।

6. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
7. जिला कलेक्टर, जयपुर।
8. पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय), जयपुर।
9. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
10. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
11. मुख्य अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
12. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि०, जयपुर।
13. निदेशक (विधि), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14. निदेशक (वित्त), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
15. निदेशक (आयोजना), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
16. निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
17. निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
18. अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/एलपीसी/भूमि/पुर्नावास), जयपुर, जयपुर।
19. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20. उपायुक्त जोन- , जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21. सिस्टम एनालिस्ट, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।



(पवन अरोडा)

सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।